न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 41/2024

बउनवान

रामचन्द्र उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री लोड़क्या, जाति गुर्जर निवासी ग्राम झाड़वा, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री वीरेन्द्र गौत्तम, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 17.01.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 15.03.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 0.40 है., किस्म–गैर मुमकिन बेहड़ भूमि पर अतिक्रमी मानकर 640/–रूपये अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बचाव साक्ष्य नही लेकर एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एवं स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दर्शायी गई अतिक्रमित आराजी से वर्ष 2023 में बेदखल करने के पश्चात से अपीलांट ने उक्त आराजी पर किसी प्रकार की फसल काश्त नही की है और ना ही अपीलांट का कब्जा रहा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 प्रकरण संख्या 81/2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल ... तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार ... सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

ज़वाबदहा का अवसर ादय ाबना एव ाबना स्वतत्र साक्ष्य ालय उक्त ानणय पारत करन

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 फसल रबी में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 84/2023 निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 385 रकबा 0.40 है0 किस्म गै.मु. बेहड़ ग्राम झाड़वा पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 84/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 87/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:07:04 IST
Reason: SelfAttested